प्रेषक,

अशोक कुमार तिवारी, संयुक्त सचिव, 30प्र0 शासन।

सेवा में.

निदेशक, महिला कल्याण, 30प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-1

लखनऊ::दिनांक 05 मार्च, 2024

विषय:- वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिशन वात्सल्य योजनान्तर्गत वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-590/निदे0म0क0/लेखा-बजट/पुनर्विनियोग/2023-24, दिनांक 24.02.2024 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-49 के अन्तर्गत मिशन वात्सल्य योजना के अन्तर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं हेतु राज्यांश पक्ष में प्राविधानित धनराशि के अन्तर्गत रू0 35,51,84,000/-(रूपये पैंतीस करोड़ इक्यावन लाख चौरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने हेतु निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

- (1) अवमुक्त धनराशि का आहरण एकमुश्त न करते हुए आवश्यकतानुसार एवं नियमान्सार किया जायेगा।
- (2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बंधी मानकों/ दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।
- (3) उक्त स्वीकृति जिस कार्यमद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा। उक्त स्वीकृति धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/ मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा। यदि कोई वितीय अनियमितता पायी जाती है तो इसके लिए निदेशक, महिला कल्याण उत्तयरदायी होंगे।
- (4) प्रश्नगत कार्य किसी अन्य योजना में सिम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

- (5) वितीय स्वीकृति का आदेश बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जा रहा है। बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण, 30प्र0, लखनऊ का होगा।
- (6) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार व्यय के आडिटेड लेखों के सम्बंध में सदुपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ प्रतिपूर्ति के दावे समय से प्रस्तुत करते हुए भारत सरकार से नियमानुसार अपेक्षित केन्द्रांश की धनराशि समयबद्ध रूप से प्राप्त की जायेगी।
- (7) स्वीकृत केन्द्रांश की धनराशि का समायोजन भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि से किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि भारत सरकार से प्राप्त होने वाली केन्द्रीय सहायता की धनराशि तक ही सीमित रहेगी।
- (8) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वितीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बंध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य-सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्संबंधी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (9) प्रश्नगत योजना के अन्तर्गत जनपदों को धनराशि आवंटित करने से पूर्व यह भलीभांति सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि इस हेतु पूर्व में आवंटित धनराशि जनपद स्तर पर नियमानुसार पूर्णरूप से व्यय कर ली गयी है।
- (10) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/ 2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन स्निश्चित किया जाय।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2235021028906 (बाल कल्याण समिति)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028906 बाल कल्याण समिति	07 मानदेय	5,73,22,000 (रुपये पांच करोड़ तिहत्तर लाख बाईस हजार मात्र)
	कुल			5,73,22,000

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(रुपये पांच करोड़ तिहत्तर लाख बाईस हजार
		मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021028910 (विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	75,00,000 (रुपये पचहत्तर लाख मात्र)
2	049	2235021028910 विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए विशेषीकृत यूनिट	41 भोजन व्यय	56,23,000 (रुपये छप्पन लाख तेईस हजार मात्र)
	कुल		16211.	1,31,23,000 (रुपये एक करोड़ इकतीस लाख तेईस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021028912 (विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	20 सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	63,00,000 (रुपये त्रेसठ लाख मात्र)
2	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	41 भोजन व्यय	27,12,000 (रुपये सत्ताईस लाख बारह हजार मात्र)
3	049	2235021028912 विशेषज्ञ दत्तक ग्रहण अभिकरण	58 आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान	33,88,000 (रुपये तैंतीस लाख अट्ठासी हजार मात्र)
	कुल			1,24,00,000 (रुपये एक करोड़ चौबीस लाख मात्र)

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

लेखाशीर्षः 2235021028914 (किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/गृहों का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028914 किशोर न्याय अधिनियम के अन्तर्गत संस्थानों/ गृहों का संचालन	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	17,91,21,000 (रुपये सत्रह करोड़ इक्यानबे लाख इक्कीस हजार मात्र)
	कुल			17,91,21,000 (रुपये सत्रह करोड़ इक्यानबे लाख इक्कीस हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021028915 (बाल संरक्षण इकाई की स्थापना)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की	16 व्यावसायिक तथा विशेष	3,12,58,000 (रुपये तीन करोड़ बारह
		स्थापना	सेवाओं के लिए भुगतान	लाख अट्ठावन हजार मात्र)
2	049	2235021028915 बाल संरक्षण इकाई की स्थापना	42 अन्य व्यय	1,02,00,000 (रुपये एक करोड़ दो लाख मात्र)
	कुल			4,14,58,000 (रुपये चार करोड़ चौदह लाख अट्ठावन हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021028917 (स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से बाल गृह (बालक/बालिका) का संचालन)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028917	20	1,96,75,000

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से	सहायता अनुदान	(रुपये एक करोड़
	बाल गृह (बालक/बालिका) का	- सामान्य (गैर	छियानबे लाख पचहत्तर
	संचालन	वेतन)	हजार मात्र)
			1,96,75,000
.			(रुपये एक करोड़
कुल			छियानबे लाख पचहत्तर
			हजार मात्र)

लेखाशीर्ष: 2235021028922 (किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना)

	अनुदान संख्या	. लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	049	2235021028922 किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना	61 केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की धनराशि का एस.एन.ए. मे अन्तरण	3,20,85,000 (रुपये तीन करोड़ बीस लाख पचासी हजार मात्र)
	कुल			3,20,85,000 (रुपये तीन करोड़ बीस लाख पचासी हजार मात्र)
महायोग			(रुपये पैंतीस करोड़ इक्यावन	35,51,84,000 ताख चौरासी हजार मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या-E -4-249-x -2023-24, दिनांक 04.03.2024 मे प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय

(अशोक कुमार तिवारी) संयुक्त सचिव

<u>संख्या-5/2024/435(1)/60-1-2024</u>, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/दिवितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
- 2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
- 3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

- 4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4
- 6- गार्ड फाइल।

आजा से,

(अशोक कुमार तिवारी) संयुक्त सचिव

¹⁻ यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

²⁻ इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।